न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

रण संख्या 187 / 24 दायर दिनांक 20.12.2024

सीएमएस नं. 2024 / 468

उनवान

ओमवती पत्नि स्व. भजनलाल जाति जाट नि. छौंकरवाडा कलां तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज।

—वादिनी

बनाम

1 खेमसिंह 2 देवीसिंह 3 हरवीरसिंह पुत्रान रामखिलाडी जातियान जाट नि. छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

—असल प्रतिवादीगण

4 अर्जुन 5 कन्हैया पुत्रान तेजसिंह 6 जयमन्ती पत्नि तेजसिंह 7 सीमा पुत्री तेजसिंह 8 हरेन्द्र पुत्र तेजसिंह 9 गोपाल 10 बृजमोहन 11 मलखान पुत्रान खैमसिंह 12 शकुन्तला पत्नि खैमसिंह 13 हेतराम पुत्र खैमसिंह 14 सूका पुत्र रतीराम 15 गंगादान 16 लक्ष्मणसिंह पुत्रान निहालसिंह 17 बाटो पत्नि निहालसिंह 18 धर्मवीरसिंह 19 योगेश कुमार पुत्रान कमलसिंह 20 प्रेमसिंह 21 हुकमसिंह पुत्रान भँवरसिंह 22 भरतसिंह 23 मोरध्वज पुत्रान अमरसिंह 24 रजनी पत्नि देवेन्द्रसिंह 25 रामसिंह पुत्र सामल 26 सुरेन्द्र पुत्र रामचन्द 27 रामवती पत्नि रामचन्द जातियान जाट नि. छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर 28 गुड्डीदेवी पत्नि केवल 29 रामसिंह पुत्र सामल जातियान जोगी नि. छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर 30 प्रीति पुत्री भजनलाल पत्नि सुशील 31 पूनम पुत्री भजनलाल पत्नि योगेन्द्र जातियान जाट नि. नंगला मई तह. नदबई जिला भरतपुर।

—तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन, विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :—

1 श्री हेमसिंह पाण्डेय —वादिनी

निर्णय दिनांक 06 / 03 / 2026

वादिनी द्वारा जरिये वकील यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 674 रकबा 1.46 हैक्टे. के 1/4 हिस्सा व आ.ख.नं. 139 रकबा 0.04, 140 रकबा 0.04 हैक्टे. किता 2 कुल रकबा 0.08 हैक्टे. के 1/8 हिस्सा एवं आ.ख.नं. 2350 रकबा 0.09, 2353 रकबा 0.03, 2354 रकबा 0.06 हैक्टे. किता 3 कुल रकबा 0.18 हैक्टे. के 1/28 हिस्सा तथा आ.ख.नं. 253 रकबा 0.02, 358 रकबा 0.04 हैक्टे. किता 2 कुल रकबा 0.06 हैक्टे. के संपूर्ण भाग वाके ग्राम छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर का वादिनी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 30 व 31 के पति / पिता स्वर्गीय भजनलाल खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। लेकिन भजनलाल की मृत्यु के बाबद से ही वादिनी एवं तरतीवी प्रतिवादिनी संख्या 30 व 31 वाहिस्सा बराबर काबिज काश्तकार एवं खातेदार है।

उक्त वर्णित आराजीयात वादिनी एवं असल प्रतिवादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त काश्तकारी की आराजी है, जो वादिनी की पैत्रिक आराजी है। जिसका विभाजन अभी तक वादिनी एवं असल प्रतिवादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड नहीं हुआ है। लेकिन असल प्रतिवादीगण बहुत ही चतुर एवं चालाक किस्म के व्यक्ति है, जो वादिनी को उसके निहित हिस्से की आराजी का पूरा पूरा लाभ प्राप्त नहीं होने देते है तथा वादिनी को उसके हिस्से की आराजी को जोतने बोने में आये दिन बाधा व व्यवधान पैदा करते रहते है तथा असल प्रतिवादीगण बिना विभाजन कराये

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

र व्यक्तियों के लिए रहन, बय व मुन्तकिल करना चाहते है। जबकि असल प्रतिवादीगण को बिना ाजन कराये आराजी को खुर्द बुर्द करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

दिनांक 18.12.2024 को वादिनी ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त आराजी का कानूनी विभाजन कराने के ये कहा, तो असल प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि हम किसी तरह का विभाजन नहीं करायेंगे और अपनी नमर्जी से अच्छी अच्छी व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर किसी दीगर व्यक्तियों के लिये रहन, य व मुन्तकिल कर देंगें और तुझे तेरे हिस्से का शान्ति पूर्वक काश्त नहीं करने देंगें और ना ही आराजी को जोतने बोने देंगें। अतः वादिनी वादग्रस्त आराजी का विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड करा पाने की अधिकारी है।

वादिनी द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित आराजीयात में भजनलाल के नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादिनी व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 30 व 31 वाहिस्सा बराबर खातेदार घोषित करते हुए विवादित आराजीयात का कानूनी विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पावन्द फरमाया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4, 19 लगायत 31 बाद तामील उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्व कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जाती है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 17 के विरूद्व वादिनी द्वारा कोई दादरसी नहीं चाही गई है।

वादिनी द्वारा सजरा बाबत शपथ पत्र, भजनलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं ओमवती का आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की है।

हमने बहस पर वादिनी वकील को सुना गया। उन्होंने अवगत कराया कि उक्त विवादित आराजीयात में दर्ज खातेदार भजनलाल की मृत्यु हो जाने के कारण वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 30 व 31 ही उनके विधित वारिसान है। अतः भजनलाल के नाम को कलमजन किया जाकर उनके स्थान पर वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 30 व 31 को खातेदार घोषित किया जावे।

वादिनी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो किये जाने धारा 53 आर.टी.ए. पेश किया गया। प्रार्थना पर वादी वकील को सुना गया। प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो किये जाने धारा 53 आर.टी.ए. स्वीकार किया गया।

हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादिनी डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 674 रकबा 1.46 हैक्टे. के 1/4 हिस्सा व आ.ख.नं. 139 रकबा 0.04, 140 रकबा 0.04 हैक्टे. किता 2 कुल रकबा 0.08 हैक्टे. के 1/8 हिस्सा एवं आ.ख.नं. 2350 रकबा 0.09, 2353 रकबा 0.03, 2354 रकबा 0.06 हैक्टे. किता 3 कुल रकबा 0.18 हैक्टे. के 1/28 हिस्सा तथा आ.ख.नं. 253 रकबा 0.02, 358 रकबा 0.04 हैक्टे. किता 2 कुल रकबा 0.06 हैक्टे. के संपूर्ण भाग वाके ग्राम छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर में दर्ज खातेदार स्वर्गीय भजनलाल को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादिनी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 30 व 31 को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किये जावे। तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पावन्द किया जाता है कि वो वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 30 व 31 के निहित हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त में किसी तरह की बाधा व रूकावट पैदा नहीं करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/03/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

मूलवाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

प्रकरण संख्याः 187 / 24 दायर दिनांकः 20.12.2024

जीसीएमएस नं. 2024 / 468

उनवान

1 ओमवती पत्नि स्व. भजनलाल जाति जाट नि. छौंकरवाडा कलां तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादिनी

बनाम

1 खैमसिंह 2 देवीसिंह 3 हरवीरसिंह पुत्रान रामखिलाडी जातियान जाट नि. छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——असल प्रतिवादीगण

4 अर्जुन 5 कन्हैया पुत्रान तेजसिंह 6 जयमन्ती पत्नि तेजसिंह 7 सीमा पुत्री तेजसिंह 8 हरेन्द्र पुत्र तेजसिंह 9 गोपाल 10 बृजमोहन 11 मलखान पुत्रान खैमसिंह 12 शकुन्तला पत्नि खैमसिंह 13 हेतराम पुत्र खैमसिंह 14 सूका पुत्र रत्तीराम 15 गंगादान 16 लक्ष्मणसिंह पुत्रान निहालसिंह 17 बाटो पत्नि निहालसिंह 18 धर्मवीरसिंह 19 योगेश कुमार पुत्रान कमलसिंह 20 प्रेमसिंह 21 हुकमसिंह पुत्रान भॅवरसिंह 22 भरतसिंह 23 मोरध्वज पुत्रान अमरसिंह 24 रजनी पत्नि देवेन्द्रसिंह 25 रामसिंह पुत्र सामल 26 सुरेन्द्र पुत्र रामचन्द्र 27 रामवती पत्नि रामचन्द्र जातियान जाट नि. छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर 28 गुड्डीदेवी पत्नि केवल 29 रामसिंह पुत्र सामल जातियान जोगी नि. छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर 30 प्रीति पुत्री भजनलाल पत्नि सुशील 31 पूनम पुत्री भजनलाल पत्नि योगेन्द्र जातियान जाट नि. नंगला मई तह. नदबई जिला भरतपुर।

——तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन, विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1 श्री हेमसिंह पाण्डेय ——वादिनी

डिक्री दिनांक 06 / 03 / 2026

दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 674 रकबा 1.46 हैक्टे. के 1/4 हिस्सा व आ.ख.नं. 139 रकबा 0.04, 140 रकबा 0.04 हैक्टे. किता 2 कुल रकबा 0.08 हैक्टे. के 1/8 हिस्सा एवं आ.ख.नं. 2350 रकबा 0.09, 2353 रकबा 0.03, 2354 रकबा 0.06 हैक्टे. किता 3 कुल रकबा 0.18 हैक्टे. के 1/28 हिस्सा तथा आ.ख.नं. 253 रकबा 0.02, 358 रकबा 0.04 हैक्टे. किता 2 कुल रकबा 0.06 हैक्टे. के संपूर्ण भाग वाके ग्राम छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर में दर्ज खातेदार स्वर्गीय भजनलाल को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादिनी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 30 व 31 को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किये जावे। तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि वो वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 30 व 31 के निहित हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त में किसी तरह की बाधा व रूकावट पैदा नहीं करें।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.